सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

संभागीय आयुक्त,
नागपुर संभाग,
विभागीय आयुक्त कार्यालय,
पुराना सचिवालय भवन, सिविल लाइंस,
नागपुर, महाराष्ट्र 440001
ई-मेल: divcom.nagpur@maharashtra.gov.in
Tel. No: 0712-2532123

विषय: **अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मुक्काम -चुलोद, पोस्ट-दतोरा, तहसील एवं जिला-गोंदिया, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 23.06.2025 का अभ्यावेदन।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे,
मुक्काम -चुलोद, पोस्ट-दतोरा,
तहसील एवं जिला-गोंदिया, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई : अनुसंधान इकाई-।

श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मु. चुलोद, पोस्ट दतोरा, तह. एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) - अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काविज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में प्रकरण पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक-। के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, निवासी चुलोद, पोस्ट दतोरा, तहसील एवं जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन में बताया गया कि उनके पिता श्री ईश्वर रामलाल मरस्कोल्हे के पक्ष में महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ लैंड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, 1974 के अंतर्गत तहसीलदार, गोंदिया द्वारा दिनांक 30.01.1991 को आदेश पारित किया गया था तथा गट नं. 150 की भूमि पर उनका नाम दर्ज किया गया था।

आवेदक के अनुसार उक्त भूमि गैर-आदिवासी व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय की गई थी, जिसके कारण विक्रय निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में जमा की गई तथा उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया द्वारा दिनांक 26.08.2021 के आदेश से भूमि पुनः आवंटित की गई। बाद में गैर-आदिवासी पक्षकार द्वारा अपर आयुक्त, नागपुर के समक्ष अपील दायर की गई, जिसमें उपविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु भेज दिया गया। आवेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि उसे भूमि का वैध स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

संभागीय आयुक्त, नागपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि अपील क्रमांक 02/SRV 43/Mouza Navargaon Khurd/2023 में दस्तावेजों के संबंध में तथ्यात्मक विसंगतियां पाई गई हैं। खरीद-बिक्री दस्तावेज, कब्जा रसीद तथा संबंधित व्यक्तियों के नामों में अंतर होने के कारण अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक पाया गया।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया के आदेश को गुण-दोष के आधार पर निरस्त नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

अनुपालन एवं सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण के लिए वापस भेजा गया है। आवेदक को पुनः सुनवाई का अवसर उपलब्ध रहेगा।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला सुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त, नागपुर संभाग श्रीमती ए. विजय लक्ष्मी एवं श्री तुषार मठकर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उपस्थित हुए। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। अधिकारियों द्वारा प्रकरण के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथा मामले में पारित आदेशों एवं वर्तमान स्थिति से आयोग को अवगत कराया गया अपील क्रमांक 02/SRV 43/Mouza Navargaon Khurd/2023 में खरीद-बिक्री दस्तावेजों एवं कब्जा रसीदों में विसंगतियां पाई गई हैं। विक्रय विलेख में दर्ज नाम तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम में अंतर होने के कारण दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक पाया गया। इसी उद्देश्य से अतिरिक्त आयुक्त, नागपुर द्वारा दिनांक 14.02.2025 को उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः जांच एवं परीक्षण हेतु वापस भेजा गया।

प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त का आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन तथा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोंदिया के समक्ष विचाराधीन है तथा अगली सुनवाई 18.06.2026 को निर्धारित की गई है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. आयोग ने सुनवाई के दौरान अवलोकन किया कि प्रकरण वर्तमान में जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोंदिया के समक्ष विचाराधीन है तथा अभिलेखों एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का समयबद्ध निराकरण करते हुए अगस्त, 2026 तक अंतिम आदेश पारित किया जाए।

2. इस संबंध में जिलाधिकारी, नागपुर को आवश्यक अभिलेखों एवं अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. स. NCST/DEV-5300/MH/524/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: अपर आयुक्त, नागपुर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक को वर्षो से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में श्री विजय ईश्वरदास मरस्कोल्हे, मुक्काम -चुन्नोद, पोस्ट-दतोरा, तहसील एवं जिला-गोंदिया, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 23.06.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

संभागीय आयुक्त, नागपुर संभाग,

विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुराना सचिवालय भवन, सिविल लाइंस, नागपुर, महाराष्ट्र 440001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	VIJAYALAKSHMI BIDARI IAS	DIVISIONAL COMMISSIONER	8277471070	[signature]
2	Tushar Mathakar	Addl. Divisional Commissioner	9422661096	[signature]
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				